कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

वि.को./नि./रू.ए.सी.पी.–07/2010

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले निम्नांकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 05.07.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–2(ii)(क) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित वांछित सेवावधि पूरी करने की तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है :–

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	पे बैंड–2, ग्रेड पे– 4600 रू. में प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि	पे बैंड–2, ग्रेड पे– 4800 रू. में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	पे बैंड–2, ग्रेड पे– 5400 रू. में तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अवधेश कुमार	05.12.60	07.11.89	X	07.11.09	X	
2	श्री भारत भूषण तिवारी	09.10.62	15.06.93	X	15.06.13	X	
3	श्री संतोष कुमार	03.01.59	31.05.93	X	31.05.13	X	
4	श्री सुनील कुमार सिन्हा	05.08.57	08.06.93	X	08.06.13	X	
5	श्री राजीव रंजन पाठक	20.06.64	30.08.90	X	30.08.10	X	
6	श्री महेन्द्र चौधरी	20.09.59	15.11.95	X	15.11.15	X	
7	मो. कमरे आलम	20.01.58	03.10.86	X	01.01.09	X	
8	श्री एमादुस्सलाम	13.07.59	02.11.89	X	02.11.09	X	
9	श्री नवीन कुमार चौधरी	01.05.64	24.04.90	X	24.04.10	X	
10	श्री अरूण कुमार चौधरी	05.12.61	07.12.88	X	01.01.09	X	
11	श्री अशोक कुमार सिन्हा	15.09.57	31.05.93	X	31.05.13	X	
12	श्री हरेन्द्र प्रसाद	06.02.71	24.10.96	X	24.10.16	X	
13	श्री गेन्धारी पासवान	12.06.69	15.11.95	X	15.11.15	X	इस शर्त्त के साथ कि दिनांक 02.05.11 से 31.05.11 तक इनकी सेवा के सत्यापन के पश्चात् ही वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जायेगी।
14	श्री राजेश	02.04.66	12.04.90	X	12.4.10	X	
15	श्री रवीन्द्र कुमार	16.04.59	07.11.89	X	07.11.09	X	
16	स्व. राजेन्द्र शर्मा	01.07.61	15.09.90	X	15.09.10	X	
17	श्री सदानन्द सिंह	11.11.65	20.05.97	01.01.09	X	X	
18	श्री देवेन्द्र राय (से.नि.)	10.05.56	20.09.91	X	20.09.11	X	
19	श्री अशोक कुमार	19.09.61	20.05.97	01.01.09	X	X	
20	श्री रवि शंकर सिंह	20.01.67	27.05.97	01.01.09	X	X	
21	श्री मणिकान्त झा (से.नि.)	02.01.62	09.06.93	X	09.06.13	X	
22	श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	06.02.69	20.05.97	01.01.09	X	X	
23	श्री शैलेश कुमार कच्छप	08.10.71	21.11.95	X	21.11.15	X	
24	श्री देवानन्द	04.12.69	21.05.97	01.01.09	X	X	
25	श्री ब्रजेन्द्र कुमार	10.07.69	13.11.95	X	13.11.15	X	
26	श्री मनोज कुमार महतो	10.01.62	14.11.95	X	14.11.15	X	
27	श्री चन्द्रमा राम	09.07.69	14.11.95	X	14.11.15	X	
28	श्रीमति इन्द्राणी कुमारी	10.5.62	01.11.89	X	01.11.09	X	
29	श्री खिजरे हयात	12.01.62	28.03.90	X	28.03.10	X	
30	भुवनेश्वर ठाकुर	05.1.64	15.09.90	X	15.09.10	X	
31	श्री सुधीर कुमार सिंह	16.07.69	23.05.97	X	23.05.17	X	
32	श्री नरोत्तम पाण्डेय	10.02.68	20.05.97	X	20.05.17	X	

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका–12 के अनुसार किया जायेगा।

3. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा–पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है तथा वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

4. साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1609 दिनांक 24.05.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 के आलोक में संबंधित कर्मियों के स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के वेतन निर्धारण के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा यह भी सुनिश्चित हो लिया जायेगा कि संबंधित सरकारी सेवक विहित कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं अथवा सक्षम प्राधिकार के स्तर से उन्हें उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति प्राप्त है। जो कर्मी उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्हें सक्षम प्राधिकार से उक्त परीक्षा से विमुक्ति नहीं प्राप्त है, उनके वेतन का निर्धारण उक्त परीक्षा से उत्तीर्णता/विमुक्ति के पश्चात् ही उनके नाम के समक्ष अंकित वित्तीय उन्नयन की तिथि के प्रभाव से किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत् वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

6. उपर्युक्त किसी भी कार्मिक के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।

7. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विकास कुमार बरियार)
सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5835 /पटना, दिनांक 24.07.2017
वि.को./नि./रु.ए.सी.पी.–07/2010

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर निबंधक (मु.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, कम्फेड/राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई.सी.डी.पी./सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (बुनकर सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 नि., 7 नि. एवं 01 नि./विशेष कोषांग एवं सभी सम्बन्धित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.07.17

सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।